छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3089/2012/17/19/तक–4 रायपुर दिनांक 8/08/2017

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **लोक निर्माण विभाग के मार्गों के किनारे/क्रास करके/मार्गों के ऊपर से यूटीलिटी सर्विसेस के Right of Way उपयोग बाबत् दिशा–निर्देश।**

––00––

विषयांतर्गत शासन द्वारा पत्र क्रमांक 3499/496/11/ 19/तक–3 रायपुर दिनांक 29.4.2011 द्वारा जारी विभागीय गाईड लाईन ("परिशिष्ठ एक") को अधिक्रमित करते हुये लोक निर्माण विभाग के मार्गों में विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटीलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन आदि के लिये मार्गों की खुदाई/अण्डर ग्राउण्ड ट्रेंच के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों, सड़क के ऊपर से विद्युत केबल/ कनवेयर बेल्ट/पाईप लाईन क्रास करने की कार्यवाही, रेलवे लाईन, लेवल क्रासिंग/ अण्डरब्रिज/ओव्हर ब्रिज इत्यादि निर्माण के अनुमति बाबत विभागीय गाईड लाईन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार
8/8/17
(जे.एम.लुलु)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग,

पृ.क्रमांक 3090/2012/17/19/तक–4 रायपुर दिनांक 8/08/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वाण्ज्यि एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग.सड़क विकास निगम, सिरपुर भवन परिसर रायपुर।
4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग.........................परिक्षेत्र..........................
5. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग........................मण्डल..........................
6. जनरल मैनेजेर, छ.ग.सड़क विकास निगम रायपुर
7. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,.......................संभाग..........................
8. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर, छ.ग.सड़क विकास निगम,...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

8/8/17.
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग,

विभागीय गाईड लाईन

लोक निर्माण विभाग के मार्गों में (i) विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटीलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन आदि के लिये मार्गों की खुदाई/अण्डर ग्राउण्ड ट्रेंच के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों, (ii) सड़क के ऊपर से विद्युत केबल/ कनवेयर बेल्ट/पाईप लाईन क्रास करने की कार्यवाही, (iii) रेलवे लाईन, लेवल क्रासिंग/अण्डरब्रिज/ओव्हर ब्रिज इत्यादि निर्माण के लिये सड़क के 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति बाबत्।

(1) ग्रामीण मार्गों अथवा अन्य जिला मार्गों के प्रकरणों में 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति, संबंधित अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग की सहमति उपरांत संबंधित कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जारी करेंगे।

(2) राज्यमार्ग, मुख्य जिला मार्ग के प्रकरणों में 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति, संबंधित मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग की सहमति उपरांत संबंधित कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जारी करेंगे।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रकरणों में 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति, संबंधित मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र की सहमति उपरांत संबंधित कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जारी करेंगे।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधीनस्थ मार्गो के प्रकरणों में 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति, जनरल मैनेजर, सीजीआरडीसी जारी करेंगे।

(5) सड़क के 'राईट ऑफ–वे' उपयोग की अनुमति आवेदक से आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 30(तीस) दिवस में पूर्ण की जायेगी। इस सेवा के लिये निर्धारित की गई समय–सीमा सेवा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत होगी।

(6) आवेदनकर्ता को कार्य का डिटेल्ड ले–आऊट प्लान प्रस्तुत करना होगा। जो उसके द्वारा स्वयं मार्ग निरीक्षण कर तैयार किया जावेगा।

(7) विभागीय भूमि के उपयोग हेतु आवेदित एजेंसी द्वारा आवश्यक भूमि (क्षेत्रफल) का लाइसेन्स शुल्क, विभाग के खाते में अग्रिम रूप से ऑनलाईन/एफडीआर के माध्यम

से जमा करना होगा। लाईसेन्स शुल्क के लिये शासन द्वारा, जमीन का उस वर्ष में निर्धारित औसत बाजार मूल्य का 10% अनुसार राषि तय की जाती हैं। जो अनुबंध के पूर्व एक बार जमा करना होगा। इस लाईसेन्स की अवधि 5(पांच) वर्ष होगी। पांच वर्ष उपरांत लाईसेन्स को पुनः रिन्यू कराया जाना आवश्यक होगा जिसके लिये तत्समय निर्धारित औसत बाजार मूल्य का 10% अनुसार राशि निर्धारित होगी।

लाईसेन्स शुल्क (पांच वर्ष के लिये) का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

लाईसेन्स शुल्क (रुपये) = मार्ग का उपयोग के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल(वर्ग मीटर) x निर्धारित औसत बाजार मूल्य(प्रति वर्गमीटर) / 10

मार्ग के उपयोग के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल(वर्गमीटर) = मार्ग के यूटिलिटी के लिये आवश्यक चौड़ाई / प्रोजेक्शन(मीटर) x आवश्यक लम्बाई(मीटर)

(8) (i) विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटीलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन आदि के लिये मार्गों की खुदाई/अण्डर ग्राउण्ड ट्रेंच के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों, (ii) सड़क के ऊपर से विद्युत केबल/कनवेयर बेल्ट/पाईप लाईन क्रास करने की कार्यवाही, (iii) रेलवे लाईन, लेवल क्रासिंग/ अण्डरब्रिज/ओव्हर ब्रिज इत्यादि निर्माण के लिये सड़क के 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति हेतु उपलब्ध जगह बताते समय भविष्य के सड़क चौड़ीकरण को ध्यान में रखा जावेगा, तथापि भविष्य में आवश्यक होने पर आवेदित एजेंसी द्वारा इसे निःशुल्क विस्थापित करना होगा।

(9) भविष्य में आवेदित एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य में मरम्मत कार्य या अन्य कार्य हेतु कार्यस्थल पर पुनः खुदाई की जाती है तो मरम्मत कार्य आवेदक को अपने व्यय पर विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कराया जाना होगा।

(10) लाईसेन्स शुल्क जमा करने के पश्चात भी उपयोग में लायी गई जमीन पर आवेदित एजेंसी कोई अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा।

ᒿ

(11) अन्य एजेंसी को भी "राईट आफ वे" के अंतर्गत यूटिलिटी डालने के लिये अथवा डाली गई यूटिलिटी के नीचे या ऊपर यूटिलिटी बिछाने की अनुमति विभाग द्वारा दी जावेगी जिसके लिये तकनीकी उपयोगिता का निर्धारण विभाग द्वारा किया जावेगा। प्रथम एजेंसी द्वारा बिछायी गई यूटिलिटी को किसी दूसरी एजेंसी द्वारा रूकावट/क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा।

(12) "राईट आफ वे" का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु अनुमति दी गई है, वहीं कार्य लाईसेंसी द्वारा संपादित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य जेसे प्रचार प्रसार के टावर, स्मारक आदि, लाईसेन्सी द्वारा नहीं कराया जा सकेगा।

आवेदित एजेंसी द्वारा कार्य हेतु आवश्यक भूमि का विवरण एवं माप प्रस्तुत करना होगा।

(13) संबंधित कार्यपालन अभियंता/प्रोजेक्ट मैनेजर(सीजीआरडीसी) द्वारा उसके आवेदन के आधार पर संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया जायेगा एवं सड़क को होने वाले वास्तविक क्षति के सुधार हेतु क्षतिपूर्ति राशि के लिये, 10% सुपरविजन चार्ज सहित प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा, तथा यह राशि निर्धारित की जाने वाली लाईसेन्स शुल्क के साथ जोड़कर संबंधित कार्यपालन अभियंता/प्रोजेक्ट मैनेजर (सीजीआरडीसी) के नाम में जमा करने के लिये डिमांड नोट जारी किया जोयगा।

(14) यदि यूटिलिटी का उपयोग बिना मार्ग को क्षति पहुंचाये अण्डर ग्राउण्ड/मार्ग के उपर से किया जाना प्रस्तावित हो तो पृथक से क्षतिपूर्ति राशि आवश्यक नहीं होगी।

(15) विभागीय मार्गों पर यदि आवेदक द्वारा अन्य स्ट्रक्चर यथा रेलवे लाईन/रेलवे ओव्हर ब्रिज, अण्डर ब्रिज, ओव्हर पास, अण्डर पास प्रस्तावित किया जाता है तो इस कार्य का संपूर्ण व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा, तथा इस प्रकार के समस्त कार्य विभाग द्वारा आवश्यक मापदण्ड अनुसार कराया जायेगा, अथवा विभागीय सुपरविजन में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित ड्राईंग डिजाईन अनुसार आवेदक स्वंय निर्माण करायेगा।

(16) पूर्ण कार्य दौरान मार्ग एवं उस पर निर्मित स्ट्रक्चर की सुरक्षा तथा अनुबंध के शर्तों के पालन को ध्यान में रखते हुए आवेदित एजेंसी द्वारा रू. 100/– प्रति मीटर

लंबाई(उपयोग के लिये प्रस्तावित) की दर से संबंधित कार्यपालन अभियंता/प्रोजेक्ट मैनेजर(सीजीआरडीसी) के नाम पर बैंक गारंटी(कम से कम 'एक' वर्ष के लिये वैध) "सुरक्षा राशि" के रुप में जमा करनी होगी। यह राशि संबंधित कार्यपालन अभियंता/प्रोजेक्ट मैनेजर(सीजीआरडीसी) द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात छः माह बाद वापसी योग्य होगी। अनुबंध के शर्तों का पालन न करने पर यह बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी।

(17) आवेदित एजेंसी द्वारा उक्त राषियों का अग्रिम भुगतान किया जावेगा। तत्पश्चात विभाग के साथ अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध कार्य करने वाली आवेदित एजेंसी के वैधानिक प्रतिनिधि के साथ निष्पादित किया जायेगा, न कि उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्य सौंपे गये किसी अन्य एजेंसी के साथ।

(18) कार्य पूर्ण होने पर आवेदित एजेंसी कार्य पूर्णता की लिखित सूचना कार्यपालन अभियंता/प्रोजेक्ट मैनेजर(सीजीआरडीसी) को देंगी एवं कार्यपालन अभियंता/प्रोजेक्ट मैनेजर(सीजीआरडीसी) को स्थल का अंतिम निरीक्षण कराया जायेगा।

(19) आवेदित एजेंसी को अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्य हेतु आवश्यक समय का भी उल्लेख करना होगा।

पक्ष क्र.1 **पक्ष क्र.2**

रू. 50/–स्टॉम्प पेपर

लोक निर्माण विभाग के मार्गों में (i) विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटीलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन आदि के लिये मार्गों की खुदाई/अण्डर ग्राउण्ड ट्रेंच के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों, (ii) सड़क के ऊपर से विद्युत केबल/कनवेयर बेल्ट/पाईप लाईन क्रास करने की कार्यवाही, (iii) रेलवे लाईन, लेवल क्रासिंग/अण्डरब्रिज/ओव्हर ब्रिज इत्यादि निर्माण के लिये सड़क के 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति बाबत्।

पक्ष क्रमांक –1 कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.,......................संभाग.............
/प्रोजेक्ट मैनेजर(सीजीआरडीसी)

पक्ष क्रमांक –2 संबंधित संस्था (आवेदित एजेंसी)

पक्ष क्र. 2 ने लोक निर्माण विभाग के मार्गों के किनारे/मार्ग को क्रास करते हुये (i) विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटीलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन आदि के लिये मार्गों की खुदाई/अण्डर ग्राउण्ड ट्रेंच के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों, (ii) सड़क के ऊपर से विद्युत केबल/कनवेयर बेल्ट/पाईप लाईन क्रास करने की कार्यवाही, (iii) रेलवे लाईन, लेवल क्रासिंग/ अण्डरब्रिज/ओव्हर ब्रिज इत्यादि निर्माण के लिये सड़क के 'राईट ऑफ–वे' की अनुमति चाही है। पक्ष क्र. 2 द्वारा विभागीय गाईड लाईन का अवलोकन करते हुये नियत लाईसेंस फीस, क्षतिपूर्ति राशि, सुरक्षा राशि बैंक गारंटी जमा करा दी गई है।

1. पक्ष क्र. 2 द्वारा अनुमति प्राप्त करने के आवेदन के साथ संलग्न किये गए नक्शें एवं ले आऊट प्लान के अनुसार ही कार्य किया जावेगा।

2. पक्ष क्र. 2 कार्य प्रारंभ करने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पक्ष क्र. 1 को लिखित सूचना देनी होगी, जिससे कार्य की आवश्यक देख–रेख की समुचित व्यवस्था विभाग द्वारा की जा सके।

3. पक्ष क्र. 2 द्वारा सुरक्षा के संपूर्ण प्रबंध किये जावेंगे। आवश्यक बेरीकेट्स, सूचना फलक, रिफलेक्टिव बोर्ड एवं ला झण्डे आवश्यकतानुसार उचित संख्या में लगाये जावेगें। उनके द्वारा यदि रात्रि में कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा पक्ष क्र. 1 को पूर्व सूचना दी जावेगी। साथ ही उचित प्रकाश व्यवस्था रिफलेक्टिव मार्कर्स सुरक्षा संबंधी विशेष प्रबंध करने होगे। सुरक्षा के अभाव में किसी भी दुर्घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।

4. पक्ष क्र.–2 द्वारा खुदाई प्रारंभ करने के पूर्व खुदाई के ले आऊट को चूने की लाईन द्वारा स्थल पर अंकित किया जावेगा। इसे पक्ष क्र.–1 द्वारा नियुक्त मैदानी अमले द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत ही खुदाई कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

5. सड़क के किनारे डाली जोन वाली पाईप लाईन मार्ग के "राईट आफ वे" के अंतिम छोर पर अथवा पक्ष क्र. 1 के निर्देशानुसार डाली जावेगी।

6. गैस/पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक होते है अतः पक्ष क्र. 2 द्वारा गैस पाईप लाईन एवं पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हेतु डाली जाने वाली पाईप लाईन के लिये खोदी जाने वाली ट्रेन्च इस प्रकार खोदी जावेगी कि पाईप लाइन डालने के पश्चात् उसकी ऊपरी सतह जमीन से कम से कम 2 मीटर नीचे हो। अन्य प्रकरणों यथा विद्युत केबल/यूटिलिटी सर्विस लाईन वृहद पेयजल पाईप लाईन में यह गहराई कम से कम 1 मीटर होगी। तथापि पक्ष क्र. 2 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावेगा कि यह गहराई उनके द्वारा डाली जाने वाली विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन की मजबूती एवं उस पर पड़ने वाले दबाव के सापेक्ष पर्याप्त है तथा इनकी मजबूती का संपूर्ण दायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की दशा में आवेदित एजेंसी द्वारा तत्काल आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाते हुए इसे मरम्मत किया जावेगा।

7. विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन, यूटिलिटी सर्विस लाईन/ वृहद पेयजल पाईप लाईन को सड़क क्रास करने हेतु यथा संभव सड़क नहीं काटी जावेगी एवं इसके स्थान पर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग कर पाईप लाईन क्रास कराया जावेगा।

8- सड़क क्रास करने हेतु मार्ग काटा जाना अति आवश्यक होने पर पक्ष क्र. 2 द्वारा ट्रेंच रिफिलिंग का कार्य मोटी रेत से किया जाकर अच्छी तरह काम्पेक्ट किया जायेगा इसके पश्चात विभाग के निर्देशानुसार इस तत्कालिक रूप से ट्रेफिक चलने योग्य बनाया जायेगा। खोदे गये गड्ढे को किसी भी स्थिति में एक दिवस से अधिक खुला नहीं छोड़ा जावेगा। पक्ष क्र. 2 द्वारा ट्रेंच की रिफिलिंग एवं मापदंड के अनुसार कॉम्पेक्शन करने के उपरांत खुदाई से निकली हुई सामग्री, अन्य अनुपयोगी सामग्री को स्थल से हटाकर स्थल पूर्ववत करना होगा।

9. पक्ष क्र. 2 द्वारा अपना कार्य संपादित करते समय उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पूर्व में अन्य विभाग/एजेंन्सी द्वारा बिछाई गई पाईप लाईन/ड्रेनेज लाईन/केबल लाईन को कोई नुकसान न पहुंचे।

10. पक्ष क्र. 2 को यह ध्यान में रखना होगा कि वे मुख्य सड़के जिनमें अत्यन्त व्यस्त ट्रेफिक हो उनमें नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। आवश्यकतानुसार कार्य रात्रि में किया जावेगा और कार्य शुरू करने के पूर्व पक्ष क्र. 1 को सूचित करना जरूरी होगा।

11. सड़क काटना आवश्यक होने पर मार्ग को पूरी चौड़ाई में एक साथ नहीं काटा जावेगा एवं आधे भाग की रिफिंलिंग होने के पश्चात ही दूसरी ओर का आधा भाग काटा जावेगा। किसी भी दशा में यातायात अवरूद्ध न होवे इसका विशेष ध्यान रखा जावेगा। आवश्यक होने पर पक्ष क्र. 2 द्वारा यातायात पुलिस की सहायता ली जावेगी।

12. सड़क क्रास करते समय डाले जाने वाले विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन में विशेष ध्यान रखा जावेगा कि सड़क भाग में कोई जोड़ न आवे जिससे

भविष्य में इस भाग में लीकेज/क्षति होने की आषंका न होवे एवं पुनः सड़क खुदाई न करनी पड़े।

13. पक्ष क्र. 2 द्वारा मार्ग में बने स्थाई एवं अस्थाई स्ट्रक्चर, पुल–पुलियों आदि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना होगा तथा आवश्यक ड्राईंग एवं डिजाईन का अनुमोदन के पश्चात ही कार्य कराया जावेगा।

14. पक्ष क्र. 1 द्वारा विद्युत केबल/गैस पाईप लाईन/पेट्रोलियम पाईप लाईन/यूटिलिटी सर्विस लाईन/वृहद पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु उपलब्ध जगह बताते समय भविष्य के सड़क चौड़ीकरण को ध्यान में रखा जावेगा, तथापि भविष्य में आवश्यक होने पर पक्ष क्र. 2 द्वारा इसे निःशुल्क विस्थापित करना होगा।

15. यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा भविष्य में कराये गये कार्य में मरम्मत कार्य या अन्य कार्य हेतु कार्यस्थल पर पुनः खुदाई की जाती है तो मरम्मत कार्य पक्ष क्र.2(आवेदक) को अपने व्यय पर विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कराया जाना होगा।

16. विभागीय मार्गों पर यदि आवेदक द्वारा अन्य स्ट्रक्चर यथा रेलवे लाईन/रेलवे ओव्हर ब्रिज, अण्डर ब्रिज, ओव्हर पास, अण्डर पास प्रस्तावित किया जाता है तो इस कार्य का संपूर्ण व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा। तथा इस प्रकार के समस्त कार्य विभाग द्वारा आवश्यक मापदण्ड अनुसार कराया जायेगा, अथवा विभागीय सुपरविजन में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित ड्राईंग डिजाईन अनुसार आवेदक स्वंय निर्माण करायेगा।

17. पक्ष क्र. 2 को अपने आवेदन के समय उल्लेखित समय–अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा। पक्ष क्र. 1 द्वारा दी गई अनुमति, उक्त समय–अवधि के लिये वैध होगी। इसके पश्चात यह स्वयमेव निरस्त माने जावेगी। पक्ष क्र. 2 द्वारा अनुमति की समय–अवधि बढ़ाने हेतु पुनः आवेदन करना होगा। जिस पर लिया गया निर्णय पक्ष क्र. 2 के लिये बन्धनकारी होगा।

18. कार्य संपादित होने पर संबंधित एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण होने की जानकारी अनिवार्य रूप से विभाग को देनी होगी जिससे विभाग द्वारा संपूर्ण मार्ग का निरीक्षण कर लिया जावे एवं आवश्यक होने पर वांछित सुधार कार्य कराया जा सके।

19. एक बार कार्य समाप्त होने के उपरांत इस भाग में कोई भी अन्य कार्य किये जाने हेतु पुनः अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

20. कार्य के दौरान शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पक्ष क्र. 1 द्वारा सुरक्षा राशि (बैंक गारंटी) एवं क्षतिपूर्ति राशि, लाईसेन्स शुल्क राजसात करते हुए कार्य करने हेतु प्रदत्त अनुमति निरस्त की जा सकती हैं।

21. अनुबंध के सुरक्षात्मक पहलू कार्य पूर्ण होने के उपरांत भविष्य के लिये भी पक्ष क्र. 2 के लिये बंधनकारी होंगे।

22. स्टाम्प पेपर की कीमत सहित अनुबंध में होने वाली समस्त खर्च पक्ष क्र. 2 द्वारा वहन किया जावेगा।

23. पक्ष क्र. 1 एवं 2 के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता/प्रबंध संचालक,छ.ग.सड़क विकास निगम(सीजीआरडीसी मार्ग के होने की स्थिति में) का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य एवं बंधनकारी होगा।

पक्ष क्र.1 पक्ष क्र.2